कई उपाय प्रारम्भ किए है । जहां भी सम्भव हुआ है अधार स्तर पर लोगों को भी शामिल किया गया है । भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :

(1) वनों का सर्वेक्षण और संरक्षण, वनरोपण कार्यक्रम और परती भूमि का विकास ।

(2) मृदा संरक्षण, जल विभाजन क्षेत्रों का रक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सूखा-रोधक और मरुस्थल-वृद्धि उपाय और भूमि की उत्कृष्टता का रक्षण ।

(3) जल संरक्षण और जल प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण ।

(4) वायु प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण ।

(5) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए उपाय ।

(6) इस स्थिति से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेना, और

(7) ऊर्जा के संरक्षण के लिए उपाय ।

उपर्युक्त के अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम नामक गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में भी प्रारम्भ किए गए हैं।

आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर का इलाज

2222. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने आयुर्वेद पद्धति से कैंसर का इलाज करने का दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मेरठ के वैद्य बालेन्द्र प्रकाश एक ऐसे दावा करता हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके द्वारा किए गए दावे की प्रामाणिकता के संबंध में कोई जांच करवाई है ;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री कुमारी सरोज खापर्डे : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) मैं वैद्य चन्द्र प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, मेरठ के वैद्य बालेन्द्र प्रकाश ने केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् के अधिकारियों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का यह विचार है कि उनके द्वारा प्रयोग की गई कैंसर रोधी औषधि तैयार करने की परम्परागत प्रचलित विधियां बहुत ही दुर्वह और अधिक समय लेने वाली है उनका यह भी विचार है कि उन्होंने औषध के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया है और उन्होंने जो परियोजना प्रस्तुत की है उसकी लागत बहुत अधिक है । इसलिए उन्होंने यह मांग की है कि वैद्य बालेन्द्र प्रकाश को कैंसर के 15 रोगियों के उपचार के लिये परिर्याप्त औषध उपलब्ध करनी चाहिए और इस औषध को जब केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान पूर्व नैदानिक विषाक्तता संबंधी अध्ययन क्लीयर कर देगी तो उसके पश्चात् यह परिषद इस औषद की प्रायोगिक अधार पर परीक्षण की व्यवस्था करेगी ।

वैद्य बालेन्द्र प्रकाश से दिसम्बर, 1988 में अनुरोध किया गया था कि

वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह बताएं कि 15 रोगियों के उपचार के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को औषधों की सप्लाई के लिए उन्हें कम से कम कितने धन की आवश्यकता है। उनसे अपने प्रस्ताव का आयुर्वेद साहित्यिक आधार बताने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने अभी तक अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित की गई विचार-गोष्ठी

2223. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान द्वारा हाल ही में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस विचार गोष्ठी में यह विचार व्यक्त किया गया था कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर, बाकी बचे क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, फैली गरीबी का उन्मूलन करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सफल नहीं हो पाई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त विचार गोष्ठी में इस आशय की भी कतिपय सिफारिश पेश की गई थीं कि गरीबी उन्मूलन के कार्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो ये सिफारिशें क्या-क्या थीं ;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों के आधार पर किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित किए जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) और (ख) दिनांक 1 नवम्बर से 3 नवम्बर, 1988 तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टिट्यूशन्स द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड एकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली में आयोजित किये गये वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, और सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारगोष्ठी में पढ़े गये पेपरों में से एक में यह विचार व्यक्त किया गया कि केवल कृषि के क्षेत्र को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों में ग्रामीण जन संख्या के मात्र एक छोटे हिस्से को ही-अब तक दायरे में लिया गया है।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ ही साथ निम्नलिखित आवश्यकता पर जोर देते हुए कतिपय सुझाव इस संबंध में विचार-गोष्ठी में रखे गये :-

(1) जो संस्थान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान में रत हैं, उनमें से अधिकांश के ढांचे के अंतर्गत अलग ग्रामीण अनुभागों/इकाईयों का सृजन करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि और चिंतन रखने वाले वैज्ञानिकों के कोर कैडर स्थापित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये गहन रूप से प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(3) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रभावकारी उपकरण के रूप में और जो अनुसंधान हाथ में लेते हैं और जो अपनी नैसर्गिक अवस्थाओं के अंतर्गत अनुसंधान के परिणामों को लागू करते हैं, उन लोगों के मध्य संबंधों के रूप में सक्षम और स्वैच्छिक एजेन्सियों को मजबूत करना और विकास करना।